बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

Mail

विषय :– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में 97.00 (सनतानवे)करोड़ रू0 की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0– 196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14.09.2011 को न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहुँचाना सुनिश्चित करना था । राज्य सरकार द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। इसके आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना से डोर–स्टेप–डिलेवरी सिस्टम लागू करने के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना प्राप्त की गई, जिसके आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों तक खाद्यान्न पहुँचाकर उपलब्ध कराने हेतु राज्य में डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने का मामला विचाराधीन था।

2. **डोर स्टेप डिलेवरी योजना का उदेश्य एवं लक्ष्य**

क. लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न का ससमय वितरण।
ख. खाद्यान्न की गुणवता अक्षुण्ण रखना।
ग. उचित माप की खाद्यान्न लाभूकों को पहुँचाना।
घ. पारदर्शिता।

3. **डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम की कार्य योजना**

इसके कार्यान्यन हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम नोडल अभिकरण होगा। डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान प्रक्रिया एवं प्रावधान के अंतर्गत सम्बद्व भारतीय खाद्य निगम के डिपो से राज्य खाद्य निगम के प्रखंड स्थित गोदामों तक राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का परिवहन एवं भंडारण किया जायेगा। जिलावार नियुक्त परिवहनकर्ता उक्त कार्य को यथावत संपादित करते रहेंगें। इसके बाद प्रखंड गोदाम से पंचाचतवार आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न का परिवहन छोटे वाहनों द्वारा पंचायत में स्थित उचित मूल्य के दुकान तक/पंचायत स्तर पर चिन्हित नोडल स्थानों तक कराया जायेगा जहॉ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को उनके

नाम निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरूद्व खाद्यान्न की आपूर्ति की जायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन में प्रति वर्ष 388 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी ।

4. खाद्यान्न की माप एवं परिवहन की व्यवस्था

क. परिवहन अभिकर्ता का यह दायित्व होगा कि डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित तिथि को एस0आई0ओ0 के अनुरूप आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का वजन कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न मुहैया करायेंगे एवं सही माप का प्रमाण–पत्र जन वितरण प्रणाली विक्रेता से प्राप्त करेंगे ।

ख. वाहन अभिकर्ता द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी हेतु वाहन का रंग एक रखा जायेगा ताकि निर्धारित रूट के अतिरिक्त जाने पर वाहनों की पहचान कर कालाबाजारी रोकी जा सके।

ग. परिवहन सह हथालन अभिकर्ता की नियुक्ति पूर्व की भॉति राज्य खाद्य निगम द्वारा निविदा के माध्यम से की जायेगी।

घ. परिवहन अभिकर्त्ता का दायित्व होगा कि वे प्रखंड गोदाम में पदस्थापित सहायक प्रबंधक के निदेशानुसार वाहनों को अपनी देख–रेख में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान/पंचायत स्थल पर चिन्हित नोडल स्थान तक खाद्यान्न पहुॅचायेंगे एवं निर्गमादेश के अनुरूप दुकानदारों को खाद्यान्न की आपूर्ति करेंगें तथा वाहन चालन एवं निर्गमादेश की सेवित प्रति अपने नियंत्री सहायक प्रबंधक को उसी दिन उपलब्ध करायेगें। दुकानदारों की भंडारपंजी एवं निर्गमादेश की पीली प्रति में भी उनके द्वारा प्रविष्टि की जायेगी। प्रत्येक गोदाम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दुकानदार का हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना उपलब्ध रहेगा, जिसके आधार पर गोदाम प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर मिलान कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

5. वितरण व्यवस्था

क. डिलेवरी शिडयूल का निर्धारण जिला द्वारा किया जायेगा।

ख. डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित दिवस का प्रचार–प्रसार कर वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

ग. पंचायत में खाद्यान्न प्राप्ति की सूचना एस0एम0एस0 से स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं सतकर्ता समितियों को दिया जायेगा।

घ. जन विरतण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निर्धारित तिथि को खाद्यान्न नही लिये जाने की स्थिति में परिवहन खर्च की वसूली संबंधित विक्रेता से की जायेगी, जिसका निर्धारण राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा। जन वितरण प्रणाली विक्रेता या उनके द्वारा नामित व्यक्ति ही खाद्यान्न की प्राप्ति करेंगे जिसका सत्यापन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

ड़ सहायक गोदाम प्रबंधक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि गोदाम से उठाव ससमय कराते हुए पंचायत में प्रातः 10.00 बजे खाद्यान्न पहुॅचा देंगे।

6. इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य खाद्य निगम के प्रखंड गोदाम से जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के दुकान तक खाद्यान्न की आपूर्ति करने का सम्पूर्ण दायित्व परिवहन अभिकर्त्ता का होगा एवं इस कार्य हेतु दर का निर्धारिण राज्य खाद्य निगम

द्वारा दर्शाये गये 70.24 रू0 प्रति क्वींटल के अनुमानित दर के अन्दर निविदा द्वारा प्राप्त दर के आधार पर किया जाएगा । राज्य खाद्य निगम पूर्व से सरकार से प्राप्त राशि का अंकेक्षित प्रतिवेदन बोर्ड से पारित कराकर समर्पित करेगा ।

7. अतः वर्णित कार्यक्रम के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में 97.00 (सनतानवे) करोड़ रू0 की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

8. लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना माह जनवरी, 2014 से लागू होगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प को "बिहार गजट" के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – ज्ञापांक– प्र06–विविध–26 / 2009 8226 खाद्य–पटना / दिनांक–31/12/2013
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि गजट की 200 (दो सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – ज्ञापांक– प्र06–विविध–26 / 2009 8226 खाद्य–पटना / दिनांक–31/12/2013
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – ज्ञापांक– प्र06–विविध–26 / 2009 8226 खाद्य–पटना / दिनांक–31/12/2013
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव कोषांग / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ ।

प्रधान सचिव ।